



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक : 18/07/2025

अधिसूचना

संख्या-नि.प्रा./ नि. 1-05/2025 ~~2263~~. चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से ऑनलाईन प्राप्त निर्वाचन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 26.08.2025 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या- 2034 दिनांक 24.06.2025 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.05.2025 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 16.07.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्वाचन प्रस्ताव के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन कराया जाना है।

5. अनुलग्नक-1 प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	26.07.2025 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	11.08.2025 (सोमवार) एवं 12.08.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	13.08.2025 (बुधवार) एवं 14.08.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	19.08.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	26.08.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	26.08.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	28.08.2025 (गुरुवार)

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए प्रपत्र-ई. 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 26.07.2025 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय- 3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा :-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराहन के पूर्व	प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode-Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

8. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई. 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई. 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड कराएँगे।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 28.08.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक:- यथोक्त।


(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

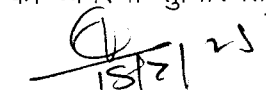

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर, बेगूसराय एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ दिनांक 25.07.2025 तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


संयुक्त सचिव

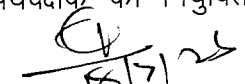
ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं मुंगेर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.), बक्सर, बेगूसराय एवं नालन्दा/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स.स.), बक्सर, बेगूसराय एवं नालन्दा/ पुलिस अधीक्षक, बक्सर, बेगूसराय एवं नालन्दा/ अपर समाहर्ता, बक्सर, बेगूसराय एवं नालन्दा/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.), नावानगर (बक्सर), छौड़ाही (बेगूसराय) एवं गिरियक (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) से अनुरोध है कि चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से सादर अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 460 दिनांक 06.06.2017 (प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध) के आलोक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति दिनांक 01.08.2025 तक करना सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सादर अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु कृपया अपने स्तर से निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/संयुक्त सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2263

/पटना, दिनांक : 18/07/2025

प्रतिलिपि: MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित वेबसाइट पर की जानेवाली सभी प्रविष्टियाँ तथा ई-18 और अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।


संयुक्त सचिव

निर्वाचन देय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सूची :-

क्रमांक	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1.	बक्सर	नावानगर	नावानगर मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड	
2.	बेगूसराय	छौड़ाही	छौड़ाही प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड	
3.	नालन्दा	गिरियक	गिरियक प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड	

.....समिति का निर्वाचन

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जो लागू न हों, उसे काट दें।